

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र

ऐसे उम्मीदवार को, जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर रहा है, अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र में उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उपमण्डल अधिकारी या नीचे वर्णित जिले के किसी भी अन्य अधिकारी से जिसमें उसके माता-पिता (अथवा अभिभावक) साधारणतः रहते हैं। जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस तरह का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पदनामित किया गया है, द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक स्व-अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जहाँ पर उम्मीदवार साधारणतः उसकी शिक्षा के उद्देश्य के अलावा निवास करता है, जहाँ कहीं फोटोग्राफ प्रमाण पत्र का अभिन्न अंग होता है तो आरआरबी केवल ऐसे प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति ही स्वीकार करता है न कि किसी अन्य सत्यापित या सत्य प्रतिलिपि को।

(भारत सरकार के अधीन नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* पुत्र/पुत्री* श्री
 निवासी ग्राम/ कस्बा* जिला/संभाग*
 राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र* जाति/जनजाति* से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है -

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950*, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950*, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951*, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951*,
 (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960,
 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 और पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित).

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956@,
 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधित अधिनियम) 1976@ द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959@,
 संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962@,
 संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962@,
 संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964@,
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967@,
 संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968@,
 संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968@,
 संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश 1970@,
 संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978@,
 संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978@,

श्री/श्रीमती/कुमारी* और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*
 जिला/संभाग* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*
 में रहता है.

स्थान : हस्ताक्षर
 दिनांक : **पदनाम

(कार्यालय की मुहर)
 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**

*जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें।
 @ कृपया विशिष्ट प्रेसिडेन्शियल आर्डर का उल्लेख करें।

टिप्पणी: यहाँ प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

**जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची -

** डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/अपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टैंडिंग ऑफिसरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एकजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/(प्रथम श्रेणी स्टैंडिंग ऑफिसरी मजिस्ट्रेट से कम न हो)/चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो/क्षेत्र का सब डिविजनल ऑफिसर जहाँ अभ्यर्थी और/या उसका पतिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी: तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।